अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं0– 04/2014

लालबाबू राय–1

बनाम

सरकार (मार्फत अनु0 पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख-सहित
16.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश दिनांक 23.09.2011(53मु0/,दिनांक 28.09.11 के द्वारा संसूचित) के विरूद्ध दाखिल है। यह प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा अमनौर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 89/2011 से संबंधित है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 25.07.2011 को सुबह 7:25 बजे लालबाबू राय–1, ज0वि0प्र0वि, अनु सं0–42/2007,सा0–शेखपुरा, पंचायत–शेखपुरा, थाना–अमनौर की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की दुकान से समबद्ध उपभोक्ताओं के द्वारा सूचित किया गया कि किरासन तेल एवं खाद्यान का नियमित वितरण नही किया जाता है। (4) उपभोक्ताओं द्वारा सूचित किया गया कि विक्रेता द्वारा 17 रूपया प्रति लीटर की दर से किरासन तेल दिया जाता है। (5) उपभोक्ताओं के द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि विक्रेता के द्वारा एक साथ दो कूपन फाड़ लिया जाता है और मना करने पर	

जाति सूचक शब्द एवं भद्दी बातें कही जाती है।

(6) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण उनके स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जॉच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी उनके धर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागजात जॉच हेतु प्रस्तुत नही किया गया है।

उक्त अनिमितताओं के लिए अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 1302, दिनांक 27.07.2011 एवं ज्ञापांक 1541, दिनांक 05.09.2011 के द्वारा विक्रेता से कारण-पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा दिनांक 09.09.2011 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया।

दिनांक 25.07.2011 को की गई उक्त जाँच के कम में पाई गई अनियमितताओं के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा अमनौर थाना में प्राथमिकी संख्या 89/11 दर्ज की गई।

सुनवाई की गई। अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अमनौर थाना कांड संख्या 89/2011 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2242/13 में नामजद व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा सह अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश दिनांक 23.09.2011(53मु0/,दिनांक 28.09.11 के द्वारा संसूचित) को निरस्त करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी से संबंधित विचारण वाद का अंतिम रूप से निष्पादन करते हुए अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अमनौर थाना कांड संख्या 89/2011 से संबंधित विचारण वाद संख्या 2242/2013 में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.09.2013 के कांडिका 10 में अंकित किया गया

है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा स्वयः जॉच नही की गई थी, और न ही आरोपियों की दुकान की जॉच ही की गई थी। अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में उनके द्वारा स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। इस तरह माननीय न्यायालय के द्वारा विचारोपरांत संदेह का लाभ देते हुए इस वाद के अपीलार्थी सहित अन्य को दोषमुक्त कर दिया गया।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश से स्पष्ट है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा कराई गई जॉँच एवं जॉँच के कम में पाई गई अनियमितताओं के आलोक में निर्गत आदेश अपने आप में त्रुटिपूर्ण है। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को निरस्त करते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन दिनांक 02.07.2014 को स्वीकृत किया जाता है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं सशोधित

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

16/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 232 /न्यायालय, दिनांक 17/4/15

प्रतिलिपि- SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश इस जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण
17/4/15